

# राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seaccg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 13/02/2024 को संपन्न 513वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 513वीं बैठक दिनांक 13/02/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
  2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
  3. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
  4. श्री कलदियुस तिकी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

**एजेण्डा आयटम क्रमांक-1:** 512वीं बैठक दिनांक 12/02/2024 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 512वीं बैठक दिनांक 12/02/2024 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

**एजेण्डा आयटम क्रमांक-2:** गौण/मुख्य खनिजों, औद्योगिक परियोजनाओं एवं बिल्डिंग परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स श्री मिनरल्स (प्रो.- श्री सुनीत तंबोली, भलपहरी लाईम स्टोन माईन), ग्राम-भलपहरी, तहसील-बोडला, जिला-कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2597)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through

SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. - 438042 एवं 25/07/2023 ई.डी.एस. - 28/07/2023 जानकारी प्राप्ति - 29/12/2023	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.024 हेक्टेयर एवं 10,326 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	पार्ट ऑफ 163	संलग्न है।
भू-स्वामित्व	शासकीय भूमि	संलग्न है।
बैठक का विवरण	513वीं बैठक दिनांक 13/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 08/02/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री सुनीत तंबोली, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार - चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक - 163 क्षेत्रफल - 2.024 हेक्टेयर क्षमता - 10,326 टन प्रतिवर्ष दिनांक - 20/03/2017 वैधता अवधि - 5 वर्ष तक	डी.ई.आई.ए.ए., जिला-कबीरधाम भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार Corona Virus (COVID-19) के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 19/03/2023 तक वैध थी।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व-प्रमाणित - हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण - 450 नग
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी	दिनांक 26/10/2023 वर्ष 2017-18 में 7,146 टन वर्ष 2018-19 में 6,568 टन वर्ष 2019-20 में 3,215 टन वर्ष 2020-21 में 7,809 टन वर्ष 2021-22 में 4,991 टन वर्ष 2022-23 में निरंक	संलग्न है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत भलपहरी दिनांक 11/05/2018	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	माईन प्लान अनुमोदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खनि अधिकारी,

		जिला-बेमतरा द्वारा माईनिंग प्लान का अनुमोदन किया गया है। प्रस्तुत माईनिंग प्लान में खनि अधिकारी का हस्ताक्षर एवं सील है। खनिज विभाग में क्वेरिंग लेटर का रिकार्ड नहीं है। अतः प्रस्तुत माईनिंग प्लान को ही मान्य किये जाने का अनुरोध है।
500 मीटर	दिनांक 03/07/2023	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 03/07/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
लीज डीड	लीज धारक - मेसर्स श्री मिनरल्स अवधि- 07/01/2002 से 06/01/2032	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, कवर्धा द्वारा जारी दिनांक 27/09/2023	वन क्षेत्र से दूरी - 5 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम - भलपहरी 1.25 कि.मी. स्कूल ग्राम - भलपहरी 1.4 कि.मी. अस्पताल - पण्डरिया 12.65 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 4.35 कि.मी. राज्यमार्ग - 11.75 कि.मी.	हाफ नदी - 4.45 कि.मी. तालाब - 420 मीटर नहर - 4 कि.मी. नाला - 1.65 कि.मी. बांध - 2.35 कि.मी.
पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग - हाँ माईन प्लान अनुसार रिजर्व्स - जियोलॉजिकल 4,21,735 टन माईनेबल 2,62,876 टन रिकव्हेरेबल 1,97,157 टन वर्तमान में रिजर्व्स - जियोलॉजिकल 3,82,096.34 टन माईनेबल 2,23,237.34 टन रिकव्हेरेबल 1,67,428.00 टन प्रस्तावित गहराई 10.45 मीटर बेंच की ऊंचाई 1 मीटर बेंच की चौड़ाई 1 मीटर संभावित आयु 20 वर्ष प्रस्तावित क्रशर - नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 7,561 टन द्वितीय 6,675 टन तृतीय 9,738 टन चतुर्थ 12,495 टन पंचम 15,165 टन षष्ठम 8,655 टन सप्तम 9,653 टन अष्टम 9,653 टन नवम 11,800 टन दशम 5,145 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 4,147.5 वर्गमीटर उत्खनित - हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख - हाँ	उत्खनित - हाँ रेस्टोरेशन प्लान - हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख - हाँ

ऊपरी मिट्टी/ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना		वर्तमान में लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी/ओव्हर बर्डन अवस्थित नहीं है।
जल आपूर्ति	मात्रा - 6 घनमीटर स्त्रोत - माईन पीट एवं बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण - 822 नग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 16,46,000 रुपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी प्रबंधन, डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई. आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं संबंधी आश्वासन, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, खनिज नियमों के तहत सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, सी.ई. आर. के तहत प्रस्तावित कार्यों को पूर्ण कर लेने के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किये जाने, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गए निर्देश का बिन्दुवार पालन करने आदि बाबत शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 3. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी-2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 2.024 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
21.08	2%	0.4216	Following activities at Nearby, Village- Bhalpahari	
			Plantation around Village Pond	0.59
			<b>Total</b>	<b>0.59</b>

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर 35 नग वृक्षारोपण (आम, जामुन, कटहल आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 3,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 7,000 रुपये, खाद के लिए राशि 2,625 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 11,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 24,125 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 34,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत भलपहरी की सहमति उपरांत तालाब पर वृक्षारोपण (खसरा क्रमांक 444, क्षेत्रफल 1.781 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार आवेदित खदान में 7.5 मीटर की माईन बाउण्ड्री का कुल क्षेत्रफल 4,147.50 वर्गमीटर है, जिसकी औसत लंबाई 553 मीटर, चौड़ाई 7.5 मीटर है। फेश बाउण्ड्री का क्षेत्र 3,017.5 वर्गमीटर एवं लंबाई 402.33 मीटर है। खदान के अंदर 5 मीटर की गहराई तक खुदी हुई बाउण्ड्री का क्षेत्र 1,130 वर्गमीटर एवं लंबाई 150.67 मीटर है। खुदी हुई बाउण्ड्री को लगभग 5,650 घनमीटर मुरुम, ओव्हर बर्डन एवं खराब पत्थर से 60 डिग्री का स्लोप बनाते हुए बैकफील किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
4. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:—

“The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan.”

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

5. लीज के 7.5 मीटर सीमा पट्टी का कुछ भाग उत्खनित था, जिसका पुनः भराव प्लान के अनुसार पुर्नभरण कर उक्त स्थान पर तीन पक्तियों में वृक्षारोपण किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
7. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—
  - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
  - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक — मेसर्स श्री मिनरल्स (प्रो.— श्री सुनीत तंबोली, भलपहरी लाईम स्टोन माईन) को ग्राम—भलपहरी, तहसील—बोडला, जिला—कबीरधाम के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 163 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल—2.024 हेक्टेयर, क्षमता—10,326 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट—01 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स एम.पी. टार प्रोडक्ट्स, प्लॉट नंबर 69-70, लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील-भिलाई, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2982)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी2/457014/2023, दिनांक 29/12/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील-भिलाई, जिला-दुर्ग स्थित प्लॉट नंबर 69-70, कुल क्षेत्रफल-1.42 हेक्टेयर में मेन्युफेक्चरिंग ऑफ कोल टार पिच क्षमता-70,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 6.83 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 513वीं बैठक दिनांक 13/02/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 13/02/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स अविनाश बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड (पार्टनर - श्री मुकेश सिंघानिया), ग्राम-सेजबहार, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2988)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ इन्फ्रा2/ 456897/2023, दिनांक 30/12/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-सेजबहार, तहसील व जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक - 43/4, 43/5, 43/7, 44/3 एवं 44/4, क्षेत्रफल - 1.2363 हेक्टेयर में प्रस्तावित परियोजना Residential Complex के तहत बिल्टअप क्षेत्रफल 51,852.91 वर्गमीटर हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 32.3 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 513वीं बैठक दिनांक 13/02/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टोन इण्डस्ट्रीज (प्रो.- श्री विकुल अग्रवाल), ग्राम-चुनकट्टा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2993)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. - 431104 एवं 02/01/2024	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	3.96 हेक्टेयर एवं 60,000 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	391, 392, 393, 396 (पार्ट), 397/473, 398, 399 (पार्ट) एवं 400	संलग्न है।
भू-स्वामित्व	निजी भूमि भूमि खसरा क्रमांक 391, 392, 393, 396 (पार्ट), 398, 399 (पार्ट) श्री तुलसीराम, खसरा क्रमांक 400 आवेदक के नाम पर एवं खसरा क्रमांक 397/473 के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।	समिति का मत है कि खसरा क्रमांक 397/473 के फॉर्म बी-1, पी-2 सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
बैठक का विवरण	513वीं बैठक दिनांक 13/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 08/02/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री अम्बर कुमार सिंघल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार - चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक - 391, 392, 393, 396 (पार्ट), 397/473, 398, 399 (पार्ट) एवं 400 क्षेत्रफल - 3.96 हेक्टेयर क्षमता - 68,970 टन प्रतिवर्ष दिनांक - 28/09/2016	डी.ई.आई.ए.ए., जिला- दुर्ग पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18/05/2039 तक है।



पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व-प्रमाणित - हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी	दिनांक - 01/01/2024 वर्ष 2016-17 में 67,500 टन वर्ष 2017-18 में 61,327.22 टन वर्ष 2018-19 में 62,550 टन वर्ष 2019-20 में 1,985 टन वर्ष 2020-21 में 9,100 टन वर्ष 2021-22 में 37,700 टन वर्ष 2022-23 में 24,200 टन	संलग्न है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत चुनकट्टा दिनांक 10/04/2008	क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 16/03/2021	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 01/01/2024	65 खदानें, क्षेत्रफल 145.473 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 01/01/2024	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
लीज डीड	लीज धारक - मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टोन इण्डस्ट्रीज, प्रो.- श्री विकुल अग्रवाल अवधि- 19/05/2009 से 18/05/2039	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल, दुर्ग द्वारा जारी दिनांक 04/09/2023	निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित खदान की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वन मण्डलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम - चुनकट्टा 700 मीटर स्कूल ग्राम - चुनकट्टा 700 मीटर अस्पताल - सेलुद 1 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 11.5 कि.मी. राज्यमार्ग - 440 मीटर	तालाब - 780 मीटर ग्रामीण कच्ची सड़क - 140 मीटर
पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग - हाँ रिजर्व्स - जियोलॉजिकल 17,21,895 टन माईनेबल 8,91,836 टन रिकवरेबल 8,02,653 टन प्रस्तावित गहराई 24 मीटर	वर्षवार उत्खनन प्रथम 60,000 टन द्वितीय 60,000 टन तृतीय 60,000 टन चतुर्थ 60,000 टन पंचम 60,000 टन षष्ठम 60,000 टन सप्तम 60,000 टन

	बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 14.86 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – 2000 वर्गमीटर	अष्टम 60,000 टन नवम 60,000 टन दशम 60,000 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 2,426 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख – हाँ रेस्टोरेशन प्लान – हाँ
ऊपरी मिट्टी/ ओवर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई – 1.5 मीटर मात्रा – 24,660 घनमीटर	1,769 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। शेष 15,000 घनमीटर – 7.5 मीटर के उत्खनित क्षेत्र के पुनःभराव हेतु उपयोग। शेष 7,891 घनमीटर – गैर माईनिंग क्षेत्र में भण्डारित कर पहुंच मार्ग के रख-रखाव में उपयोग।
जल आपूर्ति	मात्रा – 5 घनमीटर स्रोत – माईन पीट एवं बोरेवेल	खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरेवेल से किया जाना है। सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,470 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 9,60,785 रुपये
श्रेणी	बी-1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 149.433 हेक्टेयर है।

- लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुछ क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

“The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan.”

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- iv. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

- vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- viii. Project proponent shall submit the NOC from gram panchayat for Crusher establishment and details of pollution control arrangement in crusher.
- ix. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xi. Project proponent shall submit the information along with photographs mentioning the numbering of the plants to be planted and the name of the plant, along with the compliance report.
- xii. Project proponent shall submit the information about Khasra No. 397/473 along with Form B-I & P-II.
- xiii. Project proponent shall submit the NOC from (DFO) forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
- xiv. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.
- xv. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xviii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xix. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xx. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of restoration plan & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xxi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation & maintenance for 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xxii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स विराट मिनरल्स (प्रो.- श्री रमेश सुराना, बड़े कमेली आर्डिनरी स्टोन क्वारी(ए-1)), ग्राम-बड़े कमेली, तहसील-गीदम, जिला-दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2998)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. - 457272 एवं 03/01/2024	
खदान का प्रकार	साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित (क्षमता विस्तार)
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4 हेक्टेयर एवं 40,000 से बढ़ाकर 1,85,367 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	796	संलग्न है।
बैठक का विवरण	513वीं बैठक दिनांक 13/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 08/02/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री छगन सिंह वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स विराट मिनरल्स (प्रो.- श्री रमेश सुराना, बड़े कमेली आर्डिनरी स्टोन क्वारी(ए-2)), ग्राम-बड़े कमेली, तहसील-गीदम, जिला-दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2999)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. - 457360 एवं 03/01/2024	
खदान का प्रकार	साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित (क्षमता विस्तार)
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.53 हेक्टेयर एवं 25,000 टन प्रतिवर्ष से	संलग्न है।

	86,346 प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	571	संलग्न है।
बैठक का विवरण	513वीं बैठक दिनांक 13/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 08/02/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री छगन सिंह वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स धनसुली लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री नवीन पटेल), ग्राम-धनसुली, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 3000)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. - 457776 एवं 05/01/2024	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.104 हेक्टेयर एवं 86,370 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	919/2 एवं 921/2	
भू-स्वामित्व	श्री जयंती लाल एवं श्री नवीन पटेल के नाम पर है।	उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
बैठक का विवरण	513वीं बैठक दिनांक 13/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 08/02/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री रमेश कुमार पटेल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र

		प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार - चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक - 919/2 एवं 921/2 क्षेत्रफल - 2.104 हेक्टेयर क्षमता - 86,370 टन प्रतिवर्ष दिनांक - 16/02/2017	डी.ई.आई.ए.ए., जिला- रायपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01/03/2039 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व-प्रमाणित - हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण - 550 नग
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी	दिनांक - 12/02/2024 2017-18 में 35,868 टन 2018-19 में 33,086 टन 2019-20 में 21,128 टन 2020-21 में 33,166 टन 2021-22 में 13,099 टन 2022-23 में 16,100 टन 01/04/2023-30/09/2023 में निरंक	संलग्न है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत धनसुली दिनांक 15/07/2008	प्रस्तुत ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित खसरा एवं आवेदित खसरा में भिन्नता है। समिति का मत है कि आवेदित खसरा क्रमांक का उल्लेख करते हुए ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 23/12/2016	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 11/12/2023	86 खदानें, क्षेत्रफल 181.154 हेक्टेयर प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
200 मीटर	दिनांक 01/12/2023	200 मीटर में कच्ची सड़क स्थित है।
लीज डीड	लीज धारक - श्री नवीन कुमार पटेल अवधि- 02/03/2009 से 01/03/2039	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित खदान से लगी हुई अन्य खदान (ग्राम-धनसुली, खसरा क्रमांक 872, क्षेत्रफल 4.35 एकड़) हेतु जारी एन.ओ.सी. को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध। वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर द्वारा जारी दिनांक 06/12/2023 वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 50 से आकाशीय दूरी - 20 कि.मी.	बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी - 80 कि.मी. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से दूरी - 275 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम - धनसुली 1 कि.मी. स्कूल ग्राम - धनसुली 2 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 5.3 मीटर राज्यमार्ग - 4 कि.मी.	खारून नदी - 24 कि.मी.

पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग - हॉ रिजर्व - जियोलॉजिकल 15,25,400 टन माईनेबल 8,63,706 टन रिकवरेबल 7,77,335 टन प्रस्तावित गहराई 29 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष स्थापित क्रशर - 1,000 वर्गमीटर	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 86,370 टन द्वितीय 86,370 टन तृतीय 86,370 टन चतुर्थ 86,370 टन पंचम 86,370 टन षष्ठम 86,370 टन सप्तम 86,370 टन अष्टम 86,370 टन नवम 86,370 टन दशम 86,370 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 5,595 वर्गमीटर	उत्खनित - हॉ माईनिंग प्लान में उल्लेख - नहीं
ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन प्रबंधन योजना		ऊपरी मिट्टी की मोटाई एवं मात्रा सहित ऊपरी मिट्टी/ ओवर बर्डन प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
जल आपूर्ति	मात्रा - 5 घनमीटर स्रोत - बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण - 550 नग किया जाना है।	
श्रेणी	बी-1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 183.258 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल को गूगल के माध्यम से अवलोकन किये जाने पर एवं कॉन्सेप्चुअल प्लान में प्रस्तावित लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में स्थापित क्रशर का कुछ भाग प्रदर्शित हो रहा है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तावित लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में आने वाले क्रशर के भाग को हटाये जाने के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुछ क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।



3. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:—

“The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan.”

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:—
- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- iv. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- x. Project proponent shall submit the information along with photographs mentioning the numbering of the plants to be planted and the name of the plant, along with the compliance report.
- xi. Project Proponent shall submit the Gram panchayt NOC with mentioning the applied khasra numbers for mining & Crusher establishment and details of pollution control arrangement in crusher.
- xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit the DPR (Detailed Project Report) of restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan incorporating all the reserves calculation accordingly.

- xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of restoration plan & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation & maintenance for 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xix. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स अकोलडीह खपरी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री मंगल भाई पटेल), ग्राम-अकोलडीह खपरी, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 3001)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. - 457797 एवं 05/01/2024	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.676 हेक्टेयर एवं 58,880 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	546/1 एवं 547/2	संलग्न है।
बैठक का विवरण	513वीं बैठक दिनांक 13/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 08/02/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गोविंद भाई पटेल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गए डाटा में विसंगति है। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 13/02/2024 के माध्यम से ए.डी.एस. जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि ऑनलाईन परिवेश पोर्टल में त्रुटि सुधार किया जाना संभव नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक को पुनः ऑनलाईन आवेदन किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स शंकर इण्डस्ट्रीज (नरदहा लाईम स्टोन क्वारी, पार्टनर- श्री बकुल पटेल), ग्राम-नरदाहा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 3004)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. - 457567 एवं 06/01/2024	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.991 हेक्टेयर एवं 40,000 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	1951, 1952/2, 1953/2 एवं 1954/3	संलग्न है।
भू-स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 1951, 1952/2, 1953/2 एवं 1954/3 श्रीमती लीला बेन पटेल के नाम पर है।	उत्खनन भू-स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठक का विवरण	513वीं बैठक दिनांक 13/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 08/02/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		पार्टनर - श्री बकुल पटेल उपस्थित हुए। पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार - चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक-1951, 1952/2, 1953/2 एवं 1954/3 क्षेत्रफल - 1.991 हेक्टेयर क्षमता - 40,000 टन प्रतिवर्ष दिनांक - 03/01/2017	डी.ई.आई.ए.ए., जिला- रायपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 16/08/2037 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व-प्रमाणित - हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण - नहीं
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी	दिनांक - 09/02/2024 2017-18 में 8,477 टन 2018-19 में 13,783 टन 2019-20 में 5,348 टन 2020-21 में 8,629 टन 2021-22 में 5,050 टन 2022-23 में 3,750 टन 2023-24 (सितम्बर 2023 तक) में निरंक	संलग्न है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत नरदहा दिनांक 30/03/2007	उत्खनन एवं क्रशर स्थापना हेतु ग्राम पंचायत नरदहा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 29/08/2016	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 27/12/2023	86 खदानें, क्षेत्रफल 181.267 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 27/12/2023	200 मीटर के भीतर कच्चा रास्ता एवं धनसुली स्थित है।
लीज डीड	वर्तमान लीज धारक - मेसर्स शंकर इंडस्ट्रीज, पार्टनर- श्री बकुल पटेल अवधि - दिनांक 17/08/2007 से 16/08/2037 तक।	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित खदान से लगी हुई अन्य खदान (ग्राम-धनसुली, खसरा क्रमांक 872, क्षेत्रफल 4.35 एकड़) हेतु जारी एन.ओ.सी. को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध। वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर द्वारा जारी दिनांक 06/12/2023	वन क्षेत्र से आकाशीय दूरी - 20 कि.मी. बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी - 80 कि.मी. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से दूरी - 275 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम - नरदहा 1.8 कि.मी. स्कूल ग्राम - नरदहा 1.8 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 5.5 कि.मी.	खारून नदी 30 कि.मी.

	राज्यमार्ग - 6.2 कि.मी.	
पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग - हॉ रिजर्व्स - जियोलॉजिकल 10,45,275 टन माईनेबल 6,90,470 टन रिकवरेबल 6,21,423 टन प्रस्तावित गहराई 21 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 20 वर्ष प्रस्तावित क्रशर - 1,440 वर्गमीटर	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 40,000 टन द्वितीय 40,000 टन तृतीय 40,000 टन चतुर्थ 40,000 टन पंचम 40,000 टन षष्ठम 40,000 टन सप्तम 40,000 टन अष्टम 40,000 टन नवम 40,000 टन दशम 40,000 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 4,350 वर्गमीटर	उत्खनित-नहीं
ऊपरी मिट्टी/ ओवर बर्डन प्रबंधन योजना		ऊपरी मिट्टी की मोटाई एवं मात्रा सहित ऊपरी मिट्टी/ ओवर बर्डन प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
जल आपूर्ति	मात्रा - 5 घनमीटर स्रोत - बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण - 550 नग वर्तमान वृक्षारोपण - 300 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण - 250 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 2,87,800 रुपये
श्रेणी	बी-1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 183.258 हेक्टेयर है।

1. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- iv. Project proponent shall submit the copy of Partnership deed.
- v. Project Proponent shall submit the details of pollution control arrangement in crusher.
- vi. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- vii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- x. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

- xvi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स नरदहा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री हरि लाल पटेल), ग्राम-नरदहा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 3005)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. - 457660 एवं 06/01/2024	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.214 हेक्टेयर एवं 26,914 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	1964(पार्ट)	संलग्न है।
बैठक का विवरण	513वीं बैठक दिनांक 13/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 08/02/2024



प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हरि लाल पटेल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गए डाटा में विसंगति है। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 13/02/2024 के माध्यम से ए.डी.एस. जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि ऑनलाईन परिवेश पोर्टल में त्रुटि सुधार किया जाना संभव नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक को पुनः ऑनलाईन आवेदन किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स नेक्सस प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड (खपरी लाईम स्टोन, डायरेक्टर – श्री रोशन सिंह एवं श्री सतीश कुमार दुबे), ग्राम-खपरी, तहसील-पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2947)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

“The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM.”

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 454868 एवं 14/12/2023 ई.डी.एस. जारी दिनांक – 15/01/2024 जानकारी प्राप्ति दिनांक – 07/01/2024	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित (क्षमता विस्तार)
क्षेत्रफल एवं क्षमता	3.035 हेक्टेयर एवं 25,170 टन प्रतिवर्ष से 1,50,000 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	1/1	संलग्न है।
भू-स्वामित्व	शासकीय भूमि	संलग्न है।

बैठक का विवरण	513वीं बैठक दिनांक 13/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 08/02/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री रोशन सिंह, डायरेक्टर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार - चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक - 1/1 क्षेत्रफल - 3.03 हेक्टेयर क्षमता - 25,170 टन प्रतिवर्ष दिनांक - 21/03/2018	डी.ई.आई.ए.ए., जिला-जांजगीर-चांपा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 31/07/2041 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व-प्रमाणित - नहीं क्षमता विस्तार के तहत - एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर - अप्राप्त	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण - 300 नग चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन	दिनांक 14/12/2023 वर्ष 2018-19 में निरंक वर्ष 2019-20 में 24,500 वर्ष 2020-21 में 24,000 वर्ष 2021-22 में 24,300 वर्ष 2022-23 में 25,000	संलग्न है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत खपरी दिनांक 04/09/2009	उत्खनन एव क्रशर के संबंध में।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 07/12/2023	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 14/12/2023	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 14/12/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं बरसाती नाला 100 मीटर दूर है।
लीज डीड	लीज धारक - मेसर्स नेक्सस प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड अवधि-01/08/2011 से 31/07/2041	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, जांजगीर-चांपा द्वारा जारी दिनांक 08/02/2024	वन क्षेत्र से दूरी - 250 मीटर से अधिक
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम - खपरी 1 कि.मी. स्कूल ग्राम - खपरी 1.25 कि.मी. अस्पताल - पामगढ़ 8.20 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 5.1 कि.मी.	नदी - 12.95 कि.मी. मौसमी नाला - 100 मीटर तालाब - 785 मीटर नहर - 360 मीटर

	राज्यमार्ग - 6.15 कि.मी.	
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग - हॉ रिजर्व- जियोलॉजिकल 28,09,320 टन माईनेबल 15,35,320 टन रिकवरेबल 14,58,554 टन प्रस्तावित गहराई 40 मीटर बेंच की ऊंचाई 6 मीटर बेंच की चौड़ाई 6 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष स्थापित क्रशर - 2,500 वर्गमीटर	वर्षवार उत्खनन प्रथम 1,50,000 टन द्वितीय 1,50,000 टन तृतीय 1,50,000 टन चतुर्थ 1,50,000 टन पंचम 1,50,000 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 6,390 वर्गमीटर	उत्खनित - हॉ माईनिंग प्लान में उल्लेख - हॉ रेस्टोरेशन प्लान - हॉ
ऊपरी मिट्टी/ ओवर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई - 1 मीटर मात्रा - 15,588 घनमीटर	2,240 घनमीटर - 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। शेष 13,348 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को स्वयं की लगी हुई भूमि (रकबा 0.445 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 3/1) में भण्डारित कर संरक्षित।
जल आपूर्ति	मात्रा - 7 घनमीटर स्रोत - माईन पिट एवं बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण - 1,270 नग वर्तमान वृक्षारोपण - 300 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण - 970 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 22,92,000 रुपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी प्रबंधन, ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग, विक्रय या अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने, भविष्य में ऊपरी मिट्टी का उपयोग लीज क्षेत्र के भीतर पुनर्भरण हेतु ही किये जाने बाबत, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और

	<p>प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने, डी.जी.एम.एस. अधिकृत एवं पंजीकृत ब्लास्टिंग विशेषज्ञ के द्वारा ब्लास्टिंग, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, खनिज नियमों के तहत सीमांकन, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा आदि, 7.5 मीटर सीमा पट्टी के खुदे हुए भाग पर प्रस्तुत पुनःभराव प्लान के अनुसार पुनःभराव किया गया है तथा प्रस्तुत प्लान के अनुसार 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधारोपण किया जा रहा है। इस बाबत शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।</p>	<p>जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।</p> <p>3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।</p> <p>4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India &amp; Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।</p>
श्रेणी	बी2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 3.035 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
56.99	2%	1.13	Following activities at Nearby, Village- Lagra	
			Plantation around village pond	1.59
			<b>Total</b>	<b>1.59</b>

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर नग वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 72 नग पौधों के लिए राशि 7,200 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 14,400 रुपये, खाद के लिए राशि 5,400 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 20,000 रुपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 10,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 57,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,01,600 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत लगरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 182, क्षेत्रफल 1.842 हेक्टेयर में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1,355 वर्गमीटर क्षेत्र में उत्खनन किया गया था, जिसका पुनःभराव किया गया है। उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव हेतु

रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

- लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

**"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."**

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
- प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

12. मेसर्स मदननगर ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी माईन एवं फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.- श्री विभूति शुक्ला), ग्राम-मदननगर, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2787)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. - 452667 एवं 22/11/2023 ई.डी.एस. जारी दिनांक - 05/01/2024 जानकारी प्राप्त दिनांक - 09/01/2024	
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.05 हेक्टेयर एवं 1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष (12,00,000 नग ईट)	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	559/2, 559/4 एवं 559/5	संलग्न है।
भू-स्वामित्व	निजी भूमि, खसरा क्रमांक 559/2 सुश्री फूलकुंवर, खसरा क्रमांक 559/4 श्री संतोष कुमार एवं श्री विकास कुमार बखला एवं 559/5 श्री सुरेश कुमार एवं श्रीमती रामेश्वरी के नाम पर है।	सहमति पत्र प्राप्त- हाँ
बैठक का विवरण	513वीं बैठक दिनांक 13/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 08/02/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री विभूति शुक्ला, प्रोपराईटर उपस्थित हुए।
पूर्व में जारी ई.सी.	पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	संलग्न है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत मदननगर दिनांक 02/06/2022	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 30/10/2023	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 10/11/2023	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 10/11/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
800 मीटर	दिनांक 17/01/2024	800 मीटर के दायरे में कोई भी ग्राम की बस्ती स्थित नहीं है।
एल.ओ.आई. का विवरण	एल.ओ.आई. धारक - श्री विभूति शुक्ला दिनांक - 13/09/2023 वैधता अवधि - 1 वर्ष	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, सूरजपुर वन मण्डल सूरजपुर द्वारा जारी दिनांक 26/12/2022	वन क्षेत्र से दूरी - 2 कि.मी. राष्ट्रीय उद्यान - 50 कि.मी. वन्य जीव अभ्यारण्य - 40 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम - मदननगर 1.5 कि.मी. स्कूल ग्राम - धरमपुर 1.1 कि.मी. अस्पताल ग्राम - प्रतापपुर 10.8 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 17.7 कि.मी. राज्यमार्ग - 530 मीटर	महान नदी - 6.2 कि.मी. मौसमी नाला - 860 मीटर तालाब - 1.45 कि.मी. नहर - 2.2 कि.मी. रिजर्वायर - 1.15 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली	संलग्न है।

	पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैनुअल रिजर्व्स— जियोलॉजिकल 21,000 घनमीटर माईनेबल 15,787 घनमीटर रिकव्हेरेबल 14,997 घनमीटर प्रस्तावित गहराई 2 मीटर बेंच की ऊंचाई 1 मीटर बेंच की चौड़ाई 1 मीटर संभावित आयु 12 वर्ष मिट्टी के साथ उपयोग हेतु फ्लाइ ऐश का प्रतिशत – 50% चिमनी भट्ठा – 2,000 वर्गमीटर चिमनी की ऊंचाई – 33 मीटर एक लाख ईट निर्माण हेतु कोयला की मात्रा – 13 टन	वर्षवार मिट्टी उत्खनन – प्रथम 1,200 घनमीटर द्वितीय 1,200 घनमीटर तृतीय 1,200 घनमीटर चतुर्थ 1,200 घनमीटर पंचम 1,200 घनमीटर
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 2,000 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – चिमनी भट्ठा	माईनिंग प्लान में उल्लेख – हाँ
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज क्षेत्र की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल – 407 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
जल आपूर्ति	मात्रा – 7.5 घनमीटर स्रोत – बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 1 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 201 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 11,28,000 रुपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित सी.ई. आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, खनिज नियमों के तहत सीमांकन, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले फ्लाइ ऐश के उचित भण्डारण हेतु टिन शेड का निर्माण आदि बाबत शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए

		गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/08/2017 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 1.05 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
21.37	2%	0.4274	Following activities at Nearby, Village- Madannagar	
			Plantation around Village pond	0.58
			<b>Total</b>	<b>0.58</b>

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम, कटहल, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 35 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 3,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 7,000 रुपये, खाद के लिए राशि 2,625 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 11,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 24,125 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 34,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मदननगर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 323, रकबा 0.15 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.



b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स मदननगर ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी माईन एवं फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.- श्री विभूति शुक्ला) को ग्राम-मदननगर, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर के खसरा क्रमांक 559/2, 559/4 एवं 559/5 में मिट्टी (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.05 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता – 1,200 घनमीटर (12,00,000 नग ईट) प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-02 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स मानी (लेनपारा) ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.- श्री आदर्श जायसवाल), ग्राम-मानी (लेनपारा), तहसील व जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2788)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. - 452808 एवं 22/11/2023 ई.डी.एस. जारी दिनांक - 17/12/2023 जानकारी प्राप्ति दिनांक - 08/01/2024	
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान (बिना चिमनी भट्ठा के)	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.17 हेक्टेयर एवं 1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	831/1, 873/1 एवं 832	संलग्न है।
भू-स्वामित्व	खसरा क्रमांक 831/1 श्रीमती सोनामनी, खसरा क्रमांक 873/1 श्री रामदेव तथा सुश्री पार्वती एवं खसरा क्रमांक 832 श्री मानसाय एवं श्री पुरुषोत्तम के नाम पर है।	सहमति पत्र प्राप्त- हाँ
बैठक का विवरण	513वीं बैठक दिनांक 13/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 08/02/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री आदर्श जायसवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	संलग्न है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत मानी (लेनपारा) दिनांक 12/09/2022	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 20/10/2023	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 03/11/2023	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 03/11/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई. का विवरण	एल.ओ.आई. धारक - श्री आदर्श जायसवाल दिनांक - 13/06/2023 वैधता अवधि - 1 वर्ष	संलग्न है।

वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, सूरजपुर वन मण्डल सूरजपुर द्वारा जारी दिनांक 27/10/2022	वन क्षेत्र से दूरी - 500 मीटर राष्ट्रीय उद्यान - 90 कि.मी. वन्यजीव अभ्यारण्य - 80 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम - मानी (लेनपारा) 420 मीटर स्कूल ग्राम - मानी (लेनपारा) 2 कि.मी. अस्पताल - अम्बिकापुर 24.20 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 7.85 कि.मी. राज्यमार्ग - 25.65 कि.मी.	रेहर नदी - 700 मीटर मौसमी नाला - 1.3 कि.मी. तालाब - 480 मीटर नहर - 13.85 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट मैनुअल रिजर्व्स- जियोलॉजिकल 43,400 घनमीटर माईनेबल 41,050 घनमीटर रिकव्हेरेबल 38,997 घनमीटर प्रस्तावित गहराई 2 मीटर बेंच की ऊंचाई 1 मीटर बेंच की चौड़ाई 1 मीटर संभावित आयु 39 वर्ष मिट्टी के साथ उपयोग हेतु फलाई ऐश का प्रतिशत - 50% प्रस्तावित चिमनी भट्टा - नहीं।	वर्षवार उत्खनन प्रथम 1,000 घनमीटर द्वितीय 1,000 घनमीटर तृतीय 1,000 घनमीटर चतुर्थ 1,000 घनमीटर पंचम 1,000 घनमीटर
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज क्षेत्र की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल - 785 वर्गमीटर	उत्खनित - नहीं
जल आपूर्ति	मात्रा - 7 घनमीटर स्रोत - भू-जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 1 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण - 390 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 12,92,000 रुपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने, ईट निर्माण हेतु फलाई ऐश के रख रखाव हेतु टीप शेड का निर्माण, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई

	रोजगार, खनिज नियमों के तहत सीमांकन, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी आदि बाबत शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 2.17 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
17.60	2%	0.352	Following activities at Nearby, Village- Getara	
			Plantation around village pond	0.568
			<b>Total</b>	<b>0.568</b>

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर (आम, जामुन, कटहल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 35 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 3,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,250 रुपये, खाद के लिए राशि 2,625 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 6,000 रुपये, अन्य कार्यों के लिए राशि 5,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 22,375 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 34,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मानी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 806, क्षेत्रफल 1.157 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनकी आवेदित खदान से बनने वाली कच्ची ईंट को उनकी अन्य स्थापित खदान (ई.सी. क्रमांक 777, दिनांक 28/06/2021, श्री आदर्श जायसवाल, ग्राम-खरसुरा, तहसील व जिला-सूरजपुर, खसरा-1408, 1421 व 1422, क्षेत्रफल-2.26 हेक्टेयर) के फिक्स चिमनी भट्ठा में पकाकर पक्की ईंट तैयार किया जायेगा।
4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के

पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स मानी (लेनपारा) ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.- श्री आदर्श जायसवाल) को ग्राम-मानी (लेनपारा), तहसील व जिला-सूरजपुर के खसरा क्रमांक 831/1, 873/1 एवं 832 में मिट्टी (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2.17 हेक्टेयर, क्षमता-1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-03 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स मुरारीलाल केदारमल (धौरामाठा डोलोमाईट माईन, प्रो.- श्रीमती पार्वती बाई अग्रवाल), ग्राम-धौरामाठा, तहसील-बिल्हा, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2763)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

“The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM.”

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. - 452465 एवं 16/11/2023	

	ई.डी.एस. जारी दिनांक - 05/01/2024 जानकारी प्राप्ति दिनांक - 09/01/2024	
खदान का प्रकार	डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.09 हेक्टेयर एवं 44,550 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	465, 337/1, 337/2, 337/4, 482/1क, 482/1घ, 484, 485, 487 एवं 495	संलग्न है।
भू-स्वामित्व	भूमि श्रीमती पार्वती (आवेदक) एवं नाबा. श्री योगेश कुमार के नाम पर है।	संलग्न है।
बैठक का विवरण	513वीं बैठक दिनांक 13/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 08/02/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री दीपक भूतड़ा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार - डोलोमाईट गौण खनिज खदान खसरा क्रमांक - 465, 337/1, 337/2, 337/4, 482/1क, 482/1घ, 484, 485, 487 एवं 495 क्षेत्रफल - 2.09 हेक्टेयर क्षमता - 44,550 टन प्रतिवर्ष दिनांक - 23/01/2017	डी.ई.आई.ए.ए., जिला- बिलासपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/08/2034 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व-प्रमाणित - हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण - 200 नग
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी	दिनांक - 21/08/2023 2012-13 में 24,160 टन 2013-14 में 33,550 टन 2014-15 में 38,500 टन 2015-16 में 22,230 टन 2016-17 में 40,290 टन 2017-18 में 40,500 टन 2018-19 में 38,520 टन 2019-20 में 40,000 टन 2020-21 में 44,420 टन 2021-22 में 44,500 टन 2022-23 में 40,460 टन	संलग्न है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत धौराभांठा दिनांक 14/04/1997	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 27/09/2019	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 16/10/2023	13 खदानें, रकबा 54.104 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 27/12/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं

		सड़क 60 मीटर दूर स्थित है।
लीज डीड	लीज धारक - मेसर्स मुरारीलाल केदारमल, प्रो.-श्रीमती पार्वती बाई अग्रवाल अवधि - दिनांक 16/08/2004 से 15/08/2054 तक	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित खदान से लगी हुई अन्य खदान (ग्राम-मेड़पार, खसरा क्रमांक 298/2, 299, 305, 306/1 एवं 306/2, क्षेत्रफल 3.642 हेक्टेयर) हेतु जारी एन.ओ.सी. को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध। वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल, बिलासपुर द्वारा जारी दिनांक 13/07/2023	वन क्षेत्र के कक्ष 01 फदहाखार से दूरी - 17.88 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम - धौराभांठा 200 मीटर स्कूल ग्राम - धौराभांठा 520 मीटर अस्पताल - बिल्हा 6 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 520 मीटर राज्यमार्ग - 25.4 कि.मी.	मनियारी नदी - 1.15 कि.मी. मौसमी नाला - 4.85 कि.मी. तालाब - 465 मीटर नहर - 2.7 कि.मी. ग्रामीण सड़क - 60 मीटर
पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग - हॉ माईनिंग प्लान अनुसार रिजर्व्स- जियोलॉजिकल 8,51,664 टन माईनेबल 3,36,650 टन वर्तमान में रिजर्व्स - जियोलॉजिकल 6,82,284 टन माईनेबल 1,67,270 टन प्रस्तावित गहराई 30 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 35 वर्ष प्रस्तावित क्रशर - नहीं	वर्षवार उत्खनन प्रथम 31,250 टन द्वितीय 27,120 टन तृतीय 27,120 टन चतुर्थ 27,120 टन पंचम 27,120 टन षष्ठम 21,905 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - उल्लेख नहीं किया गया है।	उत्खनित - नहीं
ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी मोटाई - 1 मीटर मात्रा - 4,838.39 घनमीटर ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना 1,560 घनमीटर - 7.5 मीटर (माईन	ओवर बर्डन मात्रा - 15,889.45 घनमीटर ओवर बर्डन प्रबंधन योजना ओवर बर्डन का उपयोग हॉल रोड निर्माण रेम्प का रख-रखाव आदि में

	बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। शेष 3,279 घनमीटर – लीज क्षेत्र के बाहर भण्डारित कर संरक्षित।	किया जायेगा।
जल आपूर्ति	मात्रा – 7 घनमीटर स्रोत – माईन पिट एवं बोस्वेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण – 882 नग वर्तमान वृक्षारोपण – 200 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 682 नग	संलग्न है।
श्रेणी	बी1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 56.198 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 19 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया। तत्समय बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

“The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan.”

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
  - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
  - ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
  - iii. Project proponent shall submit top soil & over burden management plan with consent letter from land owners for preserve the top soil & over burden & incorporate the details in the EIA report.
  - iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
  - v. Project Proponent shall submit the details of area comes under 7.5 meter mine boundary.
  - vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
  - vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
  - viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.



- ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction
- x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan incorporating all the reserves calculation accordingly.
- xvi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of restoration plan & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation & maintenance for 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by

project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।


बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।



(कलब्रियुस तिकी)

सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति  
छत्तीसगढ़



(डॉ. बी.पी. नोहारे)

अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति  
छत्तीसगढ़

मेसर्स श्री मिनरल्स (प्रो.- श्री सुनीत तंबोली, भलपहरी लाईम स्टोन माईन)  
को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 163, कुल लीज क्षेत्र 2.024 हेक्टेयर, ग्राम-भलपहरी,  
तहसील-बोडला, जिला-कबीरघाम में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन - 10,326 टन  
प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2.024 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर थर का अधिकतम उत्खनन 10,326 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षंश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
7. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
8. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक

किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

9. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
10. किसी चिमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेसन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
11. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
13. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
14. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।
15. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।
16. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
17. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
19. खनिज का परिवहन कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
21.08	2%	0.4216	Following activities at Nearby, Village- Bhalpahari	
			Plantation around Village Pond	0.59
			<b>Total</b>	<b>0.59</b>

21. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
22. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर 35 नग वृक्षारोपण (आम, जामुन, कटहल आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 3,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 7,000 रुपये, खाद के लिए राशि 2,625 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 11,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 24,125 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 34,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत भलपहरी की सहमति उपरांत तालाब पर वृक्षारोपण (खसरा क्रमांक 444, क्षेत्रफल 1.781 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
23. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
25. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 822 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में

किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।


26. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024-25 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 450 नग पौधों का रोपण (कुल 1,272 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षों तक रख-रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
27. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
29. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
32. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
33. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।
34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
35. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी।


आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

36. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
37. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [parivesh.nic.in](http://parivesh.nic.in) पर भी किया जा सकता है।
42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा

नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

  
सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

  
अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.



मेसर्स मदननगर ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी माईन एवं फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.- श्री विभूति शुक्ला) को खसरा क्रमांक 559/2, 559/4 एवं 559/5, ग्राम-मदननगर, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्र 1.05 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता - 1,200 घनमीटर 12,00,000 नग ईट) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 1.05 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता - 1,200 घनमीटर (12,00,000 नग ईट) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. लीज क्षेत्र के बाहर कोई गतिविधि (Activity) नहीं किया जाए। लीज क्षेत्र के बाहर की गतिविधि (Activity) शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षंश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
7. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 एवं जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गार्ड-लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
9. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
10. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु

पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

11. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
12. खनिज उत्खनन के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।
13. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
14. ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईट के टुकड़ों आदि को भू-भरण एवं रोड के संधारण हेतु उपयोग किया जाए।
15. फलाई ऐश को उड़ने से बचाने के लिए समय-समय पर पानी का छिड़काव किया जावे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे की फलाई ऐश उड़कर आस-पास के क्षेत्रों में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस-पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
16. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहाँ पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईट भट्टा क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
19. मिट्टी, फलाई ऐश एवं ईट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईट वाहन से बाहर नहीं गिरे।

खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
21.37	2%	0.4274	Following activities at Nearby, Village- Madannagar	
			Plantation around Village pond	0.58
			<b>Total</b>	<b>0.58</b>


21. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
22. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम, कटहल, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 35 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 3,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 7,000 रुपये, खाद के लिए राशि 2,625 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 11,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 24,125 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 34,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मदननगर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 323, रकबा 0.15 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
23. सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।


25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 201 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
26. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024-25 में कम से कम 401 नग पौधे लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण 3 पंक्तियों में खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
27. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।
28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
29. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
31. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
32. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो।
33. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।
34. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
35. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
36. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
37. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी



इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

46. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
47. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

  
सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

  
अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स मानी (लेनपारा) ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.- श्री आदर्श जायसवाल)  
को खसरा क्रमांक 831/1, 873/1 एवं 832, ग्राम-मानी (लेनपारा), तहसील व  
जिला-सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्र 2.17 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) (बिना  
चिमनी भट्ठा के) क्षमता - 1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने  
वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 2.17 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता - 1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. लीज क्षेत्र के बाहर कोई गतिविधि (Activity) नहीं किया जाए। लीज क्षेत्र के बाहर की गतिविधि (Activity) शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आकांक्ष एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
7. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 एवं जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गार्ड-लाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
9. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
10. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं

सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

11. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
12. खनिज उत्खनन के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।
13. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
14. ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईट के टुकड़ों आदि को भू-भरण एवं रोड के संधारण हेतु उपयोग किया जाए।
15. फ्लाई ऐश को उड़ने से बचाने के लिए समय-समय पर पानी का छिड़काव किया जावे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे की फ्लाई ऐश उड़कर आस-पास के क्षेत्रों में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस-पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
16. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहाँ पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैंक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईट भट्टा क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
19. मिट्टी, फ्लाई ऐश एवं ईट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।



20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
17.60	2%	0.352	Following activities at Nearby, Village- Getara	
			Plantation around village pond	0.568
			<b>Total</b>	<b>0.568</b>

21. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
22. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर (आम, जामुन, कटहल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 35 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 3,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,250 रुपये, खाद के लिए राशि 2,625 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 6,000 रुपये, अन्य कार्यों के लिए राशि 5,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 22,375 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 34,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मानी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 806, क्षेत्रफल 1.157 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
23. सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 390 वृक्षों का सघन


वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।


26. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024-25 में कम से कम 890 नग पौधे लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण 3 पंक्तियों में खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
27. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।
28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
29. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
31. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
32. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो।
33. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।
34. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
35. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
36. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
37. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों/विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
39. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
40. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट [parivesh.nic.in](http://parivesh.nic.in) पर भी किया जा सकता है।
41. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
42. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिट्रिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
43. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
44. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
45. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए.,

छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

46. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
47. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

  
सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

  
अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.